



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032024-253181
CG-DL-E-18032024-253181

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1392]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 2024/फाल्गुन 26, 1945

No. 1392]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 2024/PHALGUNA 26, 1945

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1458(अ).— तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 के खंड (छ) के साथ पठित, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 3 के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन दिशानिर्देशों को तटीय जल कृषि इकाइयों या गतिविधियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

तटीय जल कृषि इकाइयों या गतिविधियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश

1. सामान्य:

(1) पर्यावरण के अनुकूल तटीय जलीय कृषि के सतत विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से, उत्पादन इकाइयों सहित तटीय जलीय कृषि हैचरी, फार्म, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर, ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर और जलीय कृषि इनपुट सहित उत्पादन से उत्पन्न कचरे को कम करने और प्रबंधित करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

(2) तटीय जलीय कृषि इकाइयां अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए तटीय जलीय कृषि इकाइयों में उत्पादन चक्र के दौरान पुनः प्रयोज्य सामग्रियों के उचित चयन और उपयोग का पालन करेंगी।

(3) सभी तटीय जलीय कृषि इकाइयाँ गैर-पुनर्चक्रण (नॉन री साईक्लेबल) योग्य उत्पादों के उपयोग को कम करेंगी और पर्यावरण-अनुकूल वैकल्पिक सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देंगी, जिन्हें आसानी से री - साईकल या पुनः उपयोग किया जा सकता है या डीग्रेड और डी कंपोस किया जा सकता है।

(4) तटीय जलीय कृषि इकाइयों से उत्पन्न अपशिष्टों को अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्: -

(क) **अपशिष्ट जल-** तटीय जलीय कृषि इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल या अपशिष्टों को तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रवाह उपचार प्रणाली (एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम) में उपचारित किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि खुले जल स्रोत में छोड़े जाने से पहले तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 के तहत जारी तटीय जलीय कृषि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों के मानकों के अनुरूप है।

बशर्ते कि कुछ मापदंडों के लिए यदि मानक या निर्धारण उपलब्ध नहीं है तो ऐसे मापदंडों के लिए डिस्चार्ज किया गया पानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप होगा।

(ख) **ठोस अपशिष्ट** - तटीय जलकृषि इकाइयों से उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को आसपास के तटीय पर्यावरण को संभावित प्रदूषण से बचाने के लिए पर्याप्त देखभाल के साथ प्रबंधित किया जाएगा:

(i) इकाइयाँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट को संभालने के लिए जिम्मेदार होंगी;

(ii) तटीय जलीय कृषि इकाइयाँ ठोस या प्लास्टिक कचरे को अलग करने, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए स्वयं या एजेंसियों या उत्पादकों के माध्यम से उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उचित इनफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेंगी।

2. **अपशिष्ट का मूल्यांकन** - (1) प्रत्येक तटीय जलकृषि इकाइयाँ क्षेत्रों या वर्गों, उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा, अपशिष्ट की विभिन्न धाराओं के भंडारण और उपचार के लिए क्षेत्र की पहचान करेंगी, सुरक्षित रूप से उनका निपटान करने के लिए उचित तरीकों या तरीकों का निर्धारण करेंगी और एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेंगी।

(2) ठोस कचरे को बायोडिग्रेडेबल, गैर-बायोडिग्रेडेबल और घरेलू खतरनाक में वर्गीकृत किया जाएगा और कचरे को स्रोत से इस प्रकार के वर्गीकरण और संग्रह, भंडारण और निपटान में उचित देखभाल की जाएगी।

(3) उप-पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट अनुसार तीन अलग अलग प्रकार के कचरे के लिए प्रत्येक क्षेत्र या सेक्शन में पर्याप्त क्षमता वाले तीन कचरे के डब्बे अलग अलग रंगों में स्रोत से कचरे को विभाजित करने और संग्रह करने के लिए रखा जाएगा।

(4) हैंडलिंग और अनुपालन आवश्यकता आदि पर साइन बोर्ड और पोस्टर, उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रकार के अनुसार पहचाने गए किसी भी अनुभाग या क्षेत्र में प्रदर्शित किए जाएंगे।

(5) सुविधा प्रबंधक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए पर्यवेक्षकों के स्तर से नीचे के कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य सौंपेंगे।

(6) प्रत्येक इकाई को निम्नलिखित कचरे के संग्रहण और निपटान के लिए उपयुक्त या अधिकृत एजेंसियों के साथ समझौता करना होगा, अर्थात्: -

अर्थात्: -

- (i) री साईक्लेबल नॉन-डीग्रेडेबल अपशिष्ट;
- (ii) एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम से कीचड़;
- (iii) बायोडिग्रेडेबल नॉन-री-साईक्लेबल अपशिष्ट;
- (iv) नॉन-डीग्रेडेबल नॉन री साईक्लेबल अपशिष्ट; और
- (v) घरेलू सीवेज।

- (7) सुविधा प्रबंधक सुविधा से प्रसंस्करण या निपटान स्थलों तक विशिष्ट वाहनों में विभिन्न कचरे के परिवहन की योजना बनाएगा और सुनिश्चित करेगा।
- (8) परिवहन को कम करते हुए कचरे के पुनः उपयोग या री साईकल की योजना बनाई जाएगी और उसे लागू करेंगे ;
- (9) एजेंसियों द्वारा कचरे की सफाई के लिए अलग रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।
- (10) विभिन्न तटीय जलकृषि इकाइयों से उत्पन्न प्रमुख प्रकार के संभावित कचरे की सूची नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है:-

तालिका - 1

क्र.सं.	इकाई का अनुभाग	उत्पन्न अपशिष्ट
(1)	(2)	(3)
1.	ब्रूड स्टॉक प्राप्त करने वाला क्षेत्र	ब्रूड स्टॉक बैग, थर्मोकोल बॉक्स (और कभी-कभी कार्टन बॉक्स), आइस पैक, ब्रूड स्टॉक पैकिंग और मृत जानवरों (ब्रूडर्स) या मरणासन्न जानवरों के लिए उपयोग किए जाने वाले रबर बैंड।
2.	परिपक्वता	फ्रीड पैकिंग प्लास्टिक पाउच या बक्से, टिन, या ऐसे किसी भी पदार्थ, फ्रीड ओवर, फ्रीड अवशेष और मृत जानवर (ब्रूडर्स) या मरणासन्न जानवर।
3.	लार्वा पालन	फ्रीड पैकिंग प्लास्टिक पाउच या बक्से, टिन, या ऐसे कोई पदार्थ, फ्रीड स्पिल ओवर और फ्रीड अवशेष
4.	पैकिंग	पोस्ट लार्वा पैकिंग कवर, रबर बैंड और क्षतिग्रस्त पैकिंग बैग के बक्से या पैक
5.	प्रयोगशाला	रसायनों के खाली प्लास्टिक या कांच के कंटेनर, समाप्त हो चुके रसायन, क्षतिग्रस्त प्रयोगशाला उपकरण, सूक्ष्मजीवविज्ञानी प्रयोगशालाओं में कल्चर प्लेटें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रयोगशालाओं में तैयार जैल आदि।
6.	रखरखाव	पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइपों के बचे हुए/टूटे हुए टुकड़े, छोटे और बड़े वायु नली, क्षतिग्रस्त वाल्व, रसायनों और अन्य कीटाणुनाशकों का फैला हुआ हिस्सा और सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पंज या अन्य स्क्रब।
7.	प्रवाह उपचार प्रणाली (एफप्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम)	प्रवाह उपचार प्रणाली से कीचड़
8.	घरेलू	एकल उपयोग प्लास्टिक की प्लेटें, गिलास, चम्मच और अन्य बर्तन जिनका उपयोग भोजन, भोजन और सब्जियों के अपशिष्ट, मल आदि को परोसने के लिए किया जाता है।
9.	बीज भंडारण	पॉलिथीन बैग जिसमें पोस्ट लार्वा या नॉप्ली खरीदा गया है।
10.	एक्का इनपुट	प्रयुक्त विभिन्न इनपुट के कंटेनर, पाउच। फ्रीड की पैकेजिंग सामग्री।
11.	कीचड़ हटाना	संस्कृति तालाबों और प्रवाह उपचार प्रणाली से।

3. प्लास्टिक कचरे का मूल्यांकन - (1) इकाइयों द्वारा किसी भी समय किसी भी ग्रेड के प्लास्टिक को जलाया नहीं जाएगा, और ऐसे प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए उन्हें स्थानीय निकाय या नियुक्त एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।

(2) विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक और उनकी रीसाइक्लिंग स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई होगी:

तालिका 2

क्र.सं	प्रतीक	संक्षिप्त नाम	वैज्ञानिक नाम	अपशिष्ट उत्पन्न होने वाले संभावित समग्रियाँ	री साएक्लेबल या नॉन री साएक्लेबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		पालतू	पॉलीथीन टैरीपिथालेट	शीतल पेय की बोतलें, फर्नीचर, कालीन, पैनलिंग, आदि।	री साएक्लेबल
2		एचडीपीई	हाइ डेन्सिटी पोलिथीन	बोतलें, कैरी बैग, दूध के पाउच, रीसाइक्लिंग डिब्बे, कृषि पाइप, बेस कप, आदि।	
3		पीवीसी	पॉलीविनाइल क्लोराइड	पाइप, खिड़की प्रोफाइल, बाड़ लगाना, फर्श, शॉवर पर्दे, लॉन कुर्सियाँ, गैर-खाद्य बोतलें, आदि।	
4		एलडीपीई	कम घनत्व पोलिथाईलीन	प्लास्टिक बैग, विभिन्न कंटेनर, डिस्पेंसिंग बोतलें, वॉश बोतलें, ट्यूबिंग इत्यादि।	नॉन री साएक्लेबल
5		पीपी	पोलीप्रोपलीन	ऑटो पार्ट्स, औद्योगिक फाइबर, खाद्य कंटेनर, डिशवेयर, आदि।	
6		पी.एस.	पोल्येस्ट्रीन	कैफेटेरिया ट्रे, प्लास्टिक के बर्तन, खिलौने, क्लैम शेल कंटेनर, इन्सुलेशन बोर्ड, आदि।	
7		○	अन्य	थर्मोसेट प्लास्टिक, मल्टीलेयर और लैमिनेट्स, बैक्लाइट, पॉलीकार्बोनेट, नायलॉन शीट मोल्टिंग कंपाउंड, फाइबर री-रीइन्फोर्सड प्लास्टिक, आदि।	

4. अपशिष्ट संग्रहण एवं अलग-अलग करना - (1) प्रत्येक तटीय जलीय कृषि इकाइयां अपने स्रोत या खंडों पर कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में अलग करेंगी और उन्हें ढक्कन वाले डिब्बे में एकत्र करेंगी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है:

तालिका - 3

अपशिष्ट का प्रकार	बायोडिग्रेडेबल और नॉन री साएक्लेबल	नॉन डीग्रेडेबल और री-साईक्लेबल	नॉन-डीग्रेडेबल, नॉन री साईक्लेबल पुनर्च और घरेलू खतरनाक
(1)	(2)	(3)	(4)
डिब्बे का रंग	हरा	पीला	लाल

(2) प्रत्येक 12 घंटे में उसकी श्रेणी के आधार पर कचरे को इकट्ठा करने, अलग करने और निपटान करने के लिए पहचाने गए प्रत्येक क्षेत्र में झूटी पर व्यक्ति होंगे और कचरे को साफ करने के लिए रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।

(3) सभी कार्यबल, विशेष रूप से वे जिन्हें कचरे को संभालने, भंडारण करने या अन्यथा प्रबंधित करने के लिए नियुक्त किया गया है, को डिब्बे के इच्छित उपयोग पर प्रशिक्षित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित का परिचय शामिल हो सकता है -

- (i) अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी प्रक्रियाएँ;
- (ii) मानवीय और पर्यावरणीय जोखिम; और
- (iii) अपशिष्ट प्रबंधन आदि में एहतियात के उपाय आदि

- (4) नॉन डीग्रेडेबल , री साईक्लेबल अपशिष्ट जैसे कि ब्रूडस्टॉक बैग, थर्माकोल बॉक्स, कार्यालय स्टेशनरी और सामान्य रखरखाव से उत्पन्न अपशिष्ट, आदि को ऐसे अपशिष्ट के अस्थायी भंडारण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में अस्थायी रूप से संग्रहीत किया जाएगा और सौंप दिया जाएगा। नियमित आधार पर रीसाइक्लिंग एजेंसी।
- (5) बायोडिग्रेडेबल और नॉन री साईक्लेबल कचरे को ऐसे कचरे के अस्थायी भंडारण के लिए नामित अस्थायी भंडारण यार्ड में स्थानांतरित किया जाएगा।
- (6) ताजे चारे की बर्बादी और परिपक्वता से मृत जानवरों के निपटान के लिए हैचरी, ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर आदि में एक छोटा इन-हाउस इंसीनरेटर स्थापित किया जाएगा ताकि जंगल में किसी भी संभावित संदूषण से बचा जा सके।
- (7) निपटान होने तक नॉन डीग्रेडेबल नॉन री साईक्लेबल कचरे के भंडारण के लिए एक अस्थायी भंडारण स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (8) कचरे को कूड़ेदान में डालते समय सावधानी बरती जाएगी ताकि उसे फैलने से रोका जा सके।
- (9) कचरे को निकटवर्ती खुले तटीय वातावरण या सार्वजनिक भूमि या नाली या जल निकायों में नहीं डाला जाएगा।

5. अपशिष्ट का अस्थायी भंडारण और उचित निपटान - (1) प्रत्येक तटीय जलीय कृषि इकाई ऐसे कचरे की विभिन्न श्रेणियों को संभालने के लिए उचित क्षमता का अस्थायी भंडारण बनाए रखेगी।

- (2) री साईक्लेबल नॉन डीग्रेडेबल अपशिष्ट को उनकी विशेषताओं के आधार पर एकत्र किया जाता है और ऐसे कचरे के अस्थायी भंडारण के लिए निर्दिष्ट गोदाम में संग्रहीत किया जाता है, भंडारण के आकार, धारण क्षमता और प्रकृति के आधार पर समय-समय पर बेचा जाएगा या री साईक्लर को सौंप दिया जाएगा। निपटान में देरी से बचने के लिए सुविधा और उचित देखभाल की जाएगी जैसे निपटान का एक निश्चित साप्ताहिक कार्यक्रम।
- (3) तटीय जलकृषि इकाइयां संबंधित कार्यों को करने के लिए स्थानीय निकाय के साथ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, संचालन और समन्वय करेंगी।
- (4) तटीय जलकृषि इकाइयां जो बड़ी हैं और बड़ी मात्रा में सीवेज उत्पन्न करती हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार एक इन-हाउस सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित और संचालित करेंगी।
- (5) भंडारण यार्ड में स्थानांतरित किए गए जैविक कचरे को अलग से खाद बनाने के लिए उचित फरमेंटेशन या जैविक पाचन या कंपोस्टिंग प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा।
- (6) बायोडिग्रेडेबल कचरे को निपटान के लिए अन्यथा स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों आदि को सौंप दिया जाएगा।
- (7) तटीय हैचरियों, ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर के प्रत्येक तिमाही में पुराने जानवरों, मृत या मरणासन्न जानवरों को जला दिया जाएगा।
- (8) रसोई के कचरे, कीचड़ और अन्य जैविक कचरे का, जहां भी संभव हो, खाद तैयार करने के लिए उचित रूप से उपयोग किया जाएगा और उत्पन्न खाद का उपयोग घर के बगीचे में किया जाएगा या उसके संग्रह के लिए नियुक्त एजेंसी के माध्यम से निपटान किया जाएगा।
- (9) सभी रसायनों या कीटाणुनाशकों और प्रयोगशाला से उत्पन्न कचरे को अत्यंत सावधानी से एकत्र किया जाएगा और उनके निपटान के लिए निर्दिष्ट प्रोटोकॉल के अनुसार निपटान किया जाएगा।
- (10) ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए सैनिटरी लैंडफिल के लिए एक निर्दिष्ट स्थान का भी उपयोग किया जाएगा।

- (11) तटीय जलकृषि इकाइयों, विशेष रूप से हैचरी, ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्रों और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेन्टर्स के एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम उपचार प्रणाली में कीचड़ को हटाने के लिए एक स्लड्ज पंप स्थापित किया जाएगा और स्थानीय निकाय के माध्यम से इसका निपटान किया जाएगा।
- (12) तटीय जलकृषि फार्मों के मामले में, कीचड़ को सूखने के दौरान स्थापित प्रक्रियाओं के साथ उपचारित किया जाएगा या यदि आवश्यक हो, तो कटाई के बाद तालाबों के तल से निकाल दिया जाएगा और उचित रूप से निपटान किया जाएगा।
- (13) मात्रा के आधार पर कीचड़ को समय-समय पर हर हफ्ते या उत्पादन के प्रत्येक चक्र के बाद हटा दिया जाएगा और ग्रेविटी थिनर में या डिजॉल्वड एयर फ्लोटेशन द्वारा गाढ़ा किया जाएगा।
- (14) ठोस पदार्थों के कुल मास को कम करने के लिए कीचड़ में कार्बनिक ठोस पदार्थों को जैविक प्रक्रिया के माध्यम से पचाया जाएगा।
- (15) कीचड़ को पानी से निकाला जाएगा, सुखाया जाएगा और जब भी इसे एकत्र किया जाएगा या समय-समय पर अस्थायी भंडारण द्वारा स्थानीय निकाय या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।
- (16) कीचड़ को क्लोरीन से उपचारित करने, डीक्लोरीनीकरण करने तथा धोने और सुखाकर लवणता हटाने के बाद खाद के रूप में पुनः उपयोग किया जाएगा।
- (17) जनरेटर और यांत्रिक उपकरणों के संचालन के लिए ईंधन या तेल, लूब्रिकेन्ट्स और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के लिए एक भंडारण कक्ष प्रत्येक तटीय जलीय कृषि इकाई में नामित किया जाएगा।
- (18) प्रत्येक तटीय जलकृषि इकाई ईंधन या तेल, लूब्रिकेन्ट्स और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के भंडारण के लिए कानूनी आवश्यकताओं, यदि कोई हो, की पहचान करेगी और उनका अनुपालन करेगी।
- (19) भंडारण कक्ष में तेल, लूब्रिकेन्ट्स और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के कंटेनरों की समय-समय पर जांच की जाएगी और बिना किसी रिसाव के उनका रखरखाव किया जाएगा।
- (20) जहां लूब्रिकेन्ट्स या ईंधन संग्रहीत किया जाता है, वहां उचित चेतावनी संकेत प्रदर्शित किए जाएंगे।
- (21) प्रत्येक तटीय जलीय कृषि इकाई जनरेटर और यांत्रिक उपकरण चलाने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी और बदलते या एकत्र करते समय तेल या लूब्रिकेन्ट्स को फैलने से बचाने के लिए देखभाल की जाएगी।
- (22) एकत्र किए गए प्रयुक्त तेल को रिसाव-रोधी कैन या कंटेनर में संग्रहित किया जाएगा और इसे केवल सरकार द्वारा अनुमोदित या अधिकृत ठेकेदारों को सौंपा जाएगा।
- (23) प्रत्येक तटीय जलकृषि इकाइयां खतरनाक कचरे के उपठेकेदारों को बेचे गए खतरनाक कचरे का रिकॉर्ड बनाए रखेंगी।

6. **रिकॉर्ड रखना** - (1) अपशिष्ट उत्पादन के लिए पहचाने गए प्रत्येक क्षेत्र या अनुभाग में अपशिष्ट के प्रकार, मात्रा और हटाने की आवृत्ति के विवरण के साथ रिकॉर्ड या रजिस्टर रखे जाएंगे।

(2) प्रत्येक तटीय जलीय कृषि इकाई में कीचड़, सीवेज और अन्य री साईक्लेबल और नॉन री साईक्लेबल कचरे के निपटान का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(3) प्राधिकरण तटीय जलकृषि इकाइयों द्वारा रखे गए अभिलेखों का यादृच्छिक निरीक्षण करेगा।

7. **अनुपालन का मूल्यांकन** - (1) प्रत्येक तटीय जलीय कृषि इकाइयां समय-समय पर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की गतिविधियों का मूल्यांकन करेंगी और किसी भी गैर-अनुपालन के मामले में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित तरीके अपनाएंगी।

(2) प्राधिकरण सभी तटीय जलकृषि इकाइयों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की गतिविधियों का मूल्यांकन करेगा और अनुपालन न होने की स्थिति में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

[फा. सं. जे-1903336/2/2024-डीओएफ (ई-23648)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Fisheries)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2024

S.O. 1458(E).—In pursuance of section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), read with clause (g) of rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, the Central Government hereby notifies the following guidelines, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These guidelines may be called the Guidelines for solid waste management in coastal aquaculture units or activities.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Guidelines for Solid Waste Management in Coastal Aquaculture Units or Activities

2. **General:** (1) For the purpose of achieving sustainable development of environmentally friendly coastal aquaculture, the aquaculture sector shall focus on methods to reduce and manage the waste generated from production including coastal aquaculture hatcheries, farms, Nucleus Breeding Centres, Broodstock Multiplication Centres, and aquaculture inputs production units.
- (2) The coastal aquaculture units shall follow appropriate selection and use of reusable materials during the production cycle in the coastal aquaculture units to reduce waste generation.
- (3) All coastal aquaculture units shall minimise the use of non-recyclable products and promote the use of eco-friendly alternate material, which can be easily recycled or reused or degraded and decomposed.
- (4) The wastes generated from coastal aquaculture units may be categorised into waste water and solid waste as under, namely:-

(a) **Waste water.-** The wastewater or effluents from the coastal aquaculture units shall be treated in the Effluent Treatment System, in accordance with the protocol specified by the Coastal Aquaculture Authority which shall conform to the standards for treatment of wastewater discharged from the aquaculture units as specified under the Guidelines for regulating coastal aquaculture issued under rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024 before it is discharged into the open water source:

Provided that in the absence of standards or loads for certain parameters, the discharged water shall be in conformity with the standards of the Pollution Control Board for such parameters.

(b) **Solid waste.-** The solid wastes generated from the coastal aquaculture units shall be managed with adequate care to protect the adjoining coastal environment from possible pollution as under:

- (i) the units shall be responsible for handling the solid waste in accordance with the rules made under the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986);
 - (ii) the coastal aquaculture units shall develop appropriate infrastructure for segregation, collection, storage, transportation processing and disposal of solid or plastic waste either by its own or by engaging agencies or producers in accordance with the rules made under the said Environment (Protection) Act, 1986.
2. **Evaluation of Waste .-** (1) Every coastal aquaculture units shall identify the areas or sections, the type and quantity of waste being generated, area for the storage and treatment of different streams of waste, **determine the appropriate methods or ways to safely dispose them** and prepare a solid waste management plan for the facility.
 - (2) The solid wastes shall be categorised in to biodegradable, non-biodegradable and domestic hazardous and an appropriate care shall be provided in segregation and collection of such different streams of waste at source, its storage and disposal.
 - (3) Each area or section shall be provided with sufficient capacity bins in three different colours for three different streams referred to in sub-paragraph (2) for the segregation and collection of them at source.
 - (4) Sign boards and posters on handling and compliance requirement etc., shall be displayed at any section or area identified in accordance with the type of waste that is being generated.
 - (5) The facility managers shall assign specific functions to be performed by the employees not below the level of supervisors, to implement and manage the solid waste management plan.

- (6) Every units shall enter into agreement with appropriate or authorised agencies for the collection and disposal of following wastes, namely:-
- recyclable non-degradable waste;
 - sludge from Effluent Treatment System;
 - biodegradable non-recyclable waste;
 - non-degradable non-recyclable waste; and
 - domestic sewage.
- (7) The facility manager shall plan and ensure the transportation of different wastes in specific vehicles from the facility to the processing or disposal sites.
- (8) The facility managers shall plan and implement the reuse or recycling of the waste minimising the transportation.
- (9) Separate records shall be maintained for clearing of waste by the agencies.
- (10) The list of major types of possible wastes generated from various coastal aquaculture units are specified in the table below:-


Table-1







Sl. No.	Section of the unit	Waste generated
(1)	(2)	(3)
1.	Brood stock receiving area	Brood stock bags, Thermocol boxes (and sometimes carton boxes), ice packs, rubber bands used for brood stock packing and dead animals (brooders) or moribund animals.
2.	Maturation	Feed packing plastic pouches or boxes, tins, or any such substances, feed spill overs, feed residues and dead animals (brooders) or moribund animals.
3.	Larval rearing	Feed packing plastic pouches or boxes, tins, or any such substances, feed spill overs and feed residues.
4.	Packing	Boxes or packs of the Post Larvae packing covers, rubber bands and damaged packing bags.
5.	Laboratory	Empty plastic or glass containers of chemicals, expired chemicals, damaged lab equipment, the culture plates in the microbiological labs, gels prepared in Polymerase Chain Reaction labs etc.
6.	Maintenance	Leftovers/broken pieces of Polyvinyl chloride pipes, small and large air hoses, damaged valves, spill overs of chemicals and other disinfectants and sponges or other scrub used for cleaning.
7.	Effluent Treatment System	Sludge from the Effluent Treatment System.
8.	Domestic	Single use plastic plates, tumblers, spoons and other vessels used to serve food, food and vegetable waste, sewage, etc.
9.	Seed stocking	Polythene bags in which the Post Larvae or Nauplii has been purchased.
10.	Aqua inputs	Containers, pouches of the various inputs used. Packaging materials of feed.
11.	Sludge removal	From culture ponds and Effluent Treatment System.

3. Evaluation of plastic wastes. – (1) Plastics of any grade shall **NOT** be burnt at any time by the units, and they shall be handed over to the local body or the appointed agency for collecting such plastics.

(2) Different types of plastics and their recycling status shall be as given in the table below:

Table-2

S.No	Symbol	Short Name	Scientific Name	Possible waste generated from	Recyclable or non-recyclable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		PET	Polyethylene terephthalate	Soft drink Bottles, furniture, carpet, paneling, etc.	

2		HDPE	High-Density polyethylene	Bottles, carry bags, milk pouches, recycling bins, agricultural pipe, base cups, etc.	Recyclable
3		PVC	Polyvinyl chloride	Pipe, window profile, fencing, flooring, shower curtains, lawn chairs, non-food bottles, etc.	
4		LDPE	Low density polyethylene	Plastic bags, various containers, dispensing bottles, wash bottles, tubing, etc.	
5		PP	Polypropylene	Auto parts, industrial fibers, food containers, dishware, etc.	Non - Recyclable
6		PS	Polystyrene	Cafeteria trays, plastic utensils, toys, clam shell containers, insulation board, etc.	
7		O	Others	Thermoset plastics, multilayer and laminates, bakelite, polycarbonate, nylon sheet moulding compound, fibre-reinforced plastic, etc.	

4. **Collection and Segregation of Waste.** – (1) Every coastal aquaculture units shall segregate the waste at its source or sections into different categories and collect them in bins with lids, as specified in the table below:

Table-3

Type of waste	Biodegradable and Non-recyclable	non-degradable and Recyclable	Non-degradable, non-recyclable & domestic hazardous
(1)	(2)	(3)	(4)
Bins colour	Green	Yellow	Red

(2) There shall be persons on duty at each area identified to collect, segregate and dispose the waste based on its category, every 12 hours and records shall be maintained for clearing the waste.

(3) All the work force, especially those who are assigned for handling, storing, or otherwise managing the waste, shall be trained on the intended use of the bins which may include introduction to,-

- (i) basic procedures for waste management;
- (ii) human and environmental risks; and
- (iii) measures of precaution in waste management, etc.

(4) The non-degradable, recyclable waste such as broodstock bags, thermocol boxes, waste generated from office stationery and general up keeping, etc., shall be stored temporarily in the area designated for temporary storage of such waste and handed over to the recycling agency on a regular basis.

(5) The biodegradable and non-recyclable waste shall be transferred to temporary storage yard designated for temporary storage of such waste.

(6) A small in-house incinerator shall be installed at the hatcheries, Broodstock Multiplication Centres and Nucleus Breeding Centres, etc., to handle the fresh feed wastage and the dead animals from maturation to avoid any possible contamination in the wild.

- (7) There shall be a temporary storage space designated for the storage of non-degradable non-recyclable waste till the disposal of the same.
- (8) Care shall be taken while depositing the waste into the bins to avoid spill overs.
- (9) The waste shall be not dumped into the adjacent open coastal environment or public land or the drain or water bodies.

5. Temporary Storage and Proper Disposal of Waste. – (1) Every coastal aquaculture unit shall maintain temporary storage of appropriate capacity for handling different categories of such wastes.

- (2) The recyclable non-degradable waste gathered based on their characteristics and stored at the warehouse designated for the temporary storage of such waste, shall be periodically sold or handed over to the recycler based on the size, holding capacity and nature of the storage facility and appropriate care must be taken to avoid the delay in disposal such as a fixed weekly schedule of disposal.
- (3) The coastal aquaculture units shall establish, operationalise and co-ordinate the waste management system with the local body for performing the associated functions.
- (4) The coastal aquaculture units which are larger and generating larger quantity of sewage shall establish and operate an in-house sewage treatment plant in accordance with the standards of Pollution Control Board.
- (5) The biological wastes transferred to the storage yard, shall be subjected to appropriate fermentation or biological digestion or composting process to generate manure separately.
- (6) The biodegradable waste shall otherwise be handed over to the local body such as municipalities, gram panchayats, etc., for disposal.
- (7) In coastal hatcheries, Broodstock Multiplication Centre's and Nucleus Breeding Centre's old animals at every quarter, dead or moribund animals shall be incinerated.
- (8) The kitchen wastes, sludge and other organic waste shall wherever possible, be appropriately used to prepare compost and the manure generated shall be used in the inhome garden or be disposed of through the agency appointed for collection of the same.
- (9) All chemicals or disinfectants and the waste generated from the laboratory shall be collected with utmost care and disposed of as per the protocol specified for disposing them.
- (10) A designated space for sanitary landfills shall also be used to dispose of the solid waste.
- (11) A sludge pump shall be set up for the removal of sludge at Effluent Treatment System of the coastal aquaculture units especially hatcheries Broodstock Multiplication Centres and Nucleus Breeding Centres and disposed of through the local body.
- (12) In the case of coastal aquaculture farms, the sludge shall be treated with the established procedures during dry out or scrapped if required, from the bottom of the ponds after the harvest and disposed appropriately.
- (13) The sludge depending on the quantity shall be removed periodically every week or after each cycle of production and shall be thickened in a gravity thickener or by dissolved air floatation.
- (14) The organic solids in the sludge shall be digested through biological process to reduce total mass of solids.
- (15) The sludge shall be dewatered, dried and handed over to the local body or agency appointed for such purpose as and when it is collected or on a periodical basis with temporary storage.
- (16) The sludge shall otherwise be reused as manure after treating with chlorine, dechlorinating and removing salinity by washing and drying.
- (17) A storage room for fuel or oil, lubricants and other consumables for operating generators and mechanical equipment shall be designated at every coastal aquaculture unit.
- (18) Every coastal aquaculture unit shall identify and comply with legal requirements, if any, for storing fuel or oil, lubricants and other consumables.
- (19) The containers of oil, lubricants and other consumables in the storage room, shall be periodically checked and maintained without any leakage.
- (20) Proper warning signs shall be displayed where lubricants or fuel is stored.
- (21) Every coastal aquaculture unit shall impart training to the staff operating the generators and mechanical equipment and care shall be taken to avoid spill oil or lubricants spill while changing or collecting.

(22) The used oil collected shall be stored in a leak-proof can or container and it shall be handed over to Government approved or authorised contractors only.

(23) Every coastal aquaculture units shall maintain the records of hazardous waste sold to subcontractors of hazardous waste.

6. Record Keeping.—(1) The records or registers shall be maintained at each area or section identified for generation of waste with the details of type and quantity and frequency of removal of waste.

(2) The records for the disposal of sludge, sewage and other recyclable and non-recyclable waste shall be maintained at every coastal aquaculture unit.

(3) The Authority shall conduct the random inspection of the records maintained by the coastal aquaculture units.

7. Evaluation of Compliance.— (1) Every coastal aquaculture units shall periodically evaluate the activities of the waste management system and in case of any non-compliance, adopt appropriate methods to ensure compliance.

(2) The Authority shall evaluate the activities of the waste management system in all the coastal aquaculture units and in case of non-compliance, suitable action shall be initiated to ensure compliance.

[F. No. j-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.